रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1147] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 20, 2007/भाद्र 29, 1929
No. 1147] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 20, 2007/BHADRA 29, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2007

का.आ. 1579(अ).—यह कि, केन्द्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में दिनांक 29 अगस्त, 2007 को प्रकाशित, उसी तारीख की अधिसूचना सं. का.आ. 1481(अ) के द्वारा "दीनदार अंजुमन" को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है ।

अत:, अब केन्द्र सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि उपर्युक्त विधि विरुद्ध संगठन के सम्बन्ध में जिन शक्तियों का प्रयोग केन्द्र सरकार सन्दर्भित अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत कर सकती है, उन सभी शक्तियों का प्रयोग राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी किया जाएगा ।

[फा. सं. 14017/14/2006-एन. आई.-III]

बी. भामथी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th September, 2007

S.O 1579(E).— Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government have declared the "Deendar Anjuman" as an unlawful association vide notification number S.O. 1481 (E), dated the 29th August, 2007 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) of same date.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 42 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby directs that all the powers which are exercisable by it under sections 7 and 8 of the said Act shall be exercised also by the State Governments and the Union territory Administrations in relation to the aforesaid unlawful association.

[F. No. 14017/14/2006-NI-III]

B. BHAMATHI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.